सं0–082/XXVIII(3) 2004–54/2003

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–3   देहरादून   दिनांक 10 फरवरी 2005

विषयः सा0स्वा0केन्द्र टनकपुर जनपद चम्पावत के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–79/स0नि0/40/2002/27403 दिनांक 15.9.2004 के संदर्भ में तथा शासनादेश सं0–464/चि0–3–2002–54/2003 दिनांक 29.3.2003 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 में सा0स्वा0 केन्द्र टनकपुर के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु संलग्नकानुसार रू0 94,12,000=00(रू0चौरानबे लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु कार्य स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जाएगा।

3– निर्माण कार्य दिनांक 31.3.2005 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

4– उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित की जायेगी तथा निर्माण इकाई परियोजना प्रबन्धक समाज कल्याण निर्माण निगम उत्तरांचल को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि के आहरण के उपरान्त आहरण संख्या व दिनांक की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

6–स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुअल में शासन द्वारा निर्धारित के संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7– धनराशि उन्हीं योजनाओं में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृति की जा रही है।

8– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

9– उक्त व्यय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय –आयोजनागत –01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें –110 अस्पताल तथा औषधालय–12 तहसील विशिष्ट चिकित्सा –00– 24–वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–2319/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 8.2.2005 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– जिलाधिकारी, चम्पावत।
5– मुख्य चिकित्साधिकारी चम्पावत।
6– परियोजना प्रबन्धक समाज कल्याण, निर्माण निगम उत्तरांचल।
7– निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
8– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश सं0 682/XXVIII-(3)-2004-54/2003 दिनांक 10-2-2004 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं0	कार्य का नाम	योजना की लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2004-05 में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
	सामु0स्वा0केन्द्र टनकपुर का भवन निर्माण।	174.12	80.00	94.12

(रू0 चौरानवे लाख बारह हजार मात्र)

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव।